उत्तर प्रदेश सरकार

उद्योग अनुभाग-(4)

संख्या-720/18-4-89

लखनऊ : दिनांक : 29-4-1989

**<u>कार्यालय - ज्ञाप</u>**

भारत सरकार ने रूग्ण औद्योगिक कम्पनियॉ (विशेष उपबन्ध) अधिनियम-1985 के अर्न्तगत औद्योगिक एवं वित्तीय पुननिर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) का गठन किया है जिसका उद्देश्य मध्यम एवं वृहत्त सेक्टर की रूग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुर्नस्थापना हेतु बोर्ड के निर्देशानुसार रूग्ण औद्योगिक इकाईयों के लिए पुनर्वासन योजना तैयार की जाती है और रिलीफ पैकेज के अर्न्तगत राज्य सरकार से कतिपय रियायतों /सुविधाओं की अपेक्षा की जाती है। अतः बोर्ड में संदर्भित प्रदेश की रूग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वासन के लिये राज्य सरकार द्वारा ''पालिसी पैरामीटर्स'' निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है। इन पालिसी पैरामीटर के अनुसार बोर्ड द्वारा घोषित रूग्ण औद्योगिक इकाइयों को रिलीफ पैकेज के अन्तर्गत शासन द्वारा निम्न सुविधाएं प्रदान की जायेगीः-

(1) बिक्रीकर के पुराने बकायों के संबंध में पॉच वर्षो तक के लिये आस्थगन जिसकी वसूली उक्त अवधि की समाप्ति पर अगले पॉच वर्षों में समान वार्षिक किश्तों में की जायेगी।

(2) वर्तमान बिक्रीकर अथवा क्रयकर की वसूली पर छूट/आस्थगन के मामले पर यदि रिलीफ पैकेज के अन्तर्गत ऐसी अपेक्षा की जाती है तो शासन द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(3) विद्युत कटौती से मुक्त रखा जायेगा। यदि अपरिहार्य कारणों से ऐसा संभव न हो सकेगा तो सामान्य इकाइयों पर लगने वाले पावर कट का 5 प्रतिशत ही रूग्ण इकाई पर लगाया जायेगा।

(4) विद्युत विच्छेदन की अवधि में लगाये गये ''मिनिमम डिमाण्ड चार्जेज'' की वसूली स्थगित रहेगी और उसकी वसूली इकाई के पुनः उत्पादन की स्थिति में आने पर 10 समान किश्तों में की जायेगी।

(5) वर्तमान विद्युत देयों का भुगतान किया जायेगा। पिछले बकाया विद्युत देयों की वसूली स्थगित रहेगी जिसकी वसूली इकाई के पुनः उत्पादन की स्थिति में होने पर उत्पादन की तिथि से 10 समान मासिक किश्तों में की जायेगी।

(6) इकाई के बन्द होने की तिथि से पुनः चालू होने की तिथि तक के बीच की अवधि में कोई विद्युत सरचार्ज नहीं लगाया जायेगा।

(7) इकाई की श्रमिक समस्याओं के सम्बन्ध में राज्य सरकार यथा आवश्यक सहायता प्रदान करते हुए श्रमिक समस्याओं के समाधान करने हेतु तथा श्रम अभिनवीकरण के कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।

(8) बकाया आबकारी करों की वसूली का आस्थगन पॉच वर्षों के लिये किया जा सकेगा जिसकी वसूली, सहायता पैकेज में उल्लिखित अवधि तक या पॉच वर्षो में जो भी पहले हो, में की जायेगी। बकायों को माफ किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर शासन द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(9) शहरी क्षेत्र में स्थापित उन रूग्ण औद्योगिक इकाइयों को जिनके पास सीमाधिक्य भूमि है तथा जो नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम के अन्तर्गत आती है, सहायता पैकेज में की गयी अपेक्षानुसार अन्य प्रयोगों हेतु की बिक्री करने की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(10) रिलीफ पैकेज के अन्तर्गत अपेक्षित सुविधाओं / रियायतों के सम्बन्ध में राज्य सरकार स्तर पर निर्णय लेने हेतु निम्न सचिव समिति का गठन किया गया हैः-

| | | |
|---|---|---|
| (1) | प्रमुख सचिव, उद्योग विभाग | अध्यक्ष / संयोजक |
| (2) | प्रमुख सचिव, वित्त विभाग | सदस्य |
| (3) | सचिव, संस्थागत वित्त विभाग | सदस्य |

(4) सचिव, आबकारी विभाग सदस्य

(5) सचिव, श्रम विभाग सदस्य

(6) सचिव, ऊर्जा विभाग सदस्य

(11) उक्त समिति को निम्नलिखित निर्णय लेने हेतु प्राधिकृत किया गया है :-

(अ) रूग्ण इकाई को एक करोड़ रूपये के बकायों की वसूली के आस्थगन की सुविधा तथा 5 लाख रूपयों के बकायों को माफ करने की सुविधा प्रदान करने का अधिकार समिति को होगा। इस 5 लाख रूपये की धनराशि में माफ किया गया ब्याज एवं दाण्डिक ब्याज सम्मिलित नहीं होगा।

(ब) समिति द्वारा उपरोक्तानुसार बिक्रीकर, आबकारी कर ऊर्जा सम्बन्धी बकायों, श्रमिक सें संबधित बकायों, स्थानीय करों तथा शासकीय ऋण इत्यादि के सम्बन्ध में आस्थापन / छूट की सुविधायें प्रदान की जा सकेगी।

(स) समिति अपने अधिकारों का प्रयोग इस शर्त के साथ करेगी कि इकाई को वित्तीय रूप में प्रदान की गई कुल सुविधा विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई कुल सुविधा से अधिक न होगी। आस्थगन की सुविधा 5 वर्षो से अधिक के लिये अनुमन्य नहीं होगी।

**(प्रभात चन्द्र चतुर्वेदी)**

विशेष सचिव।

**संख्याः 720/(1)/18-4-89**

प्रतिलिपि : रजिस्ट्रार, बोर्ड फार इण्डस्ट्रियल एण्ड फाइनेन्सियल रिकन्सट्रक्शन, अन्सल चेम्बर, 2, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि कृपया राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली रियायतों/सुविधाओं के सम्बन्ध में सभी आपरेटिंग एजेन्सी को अवगत कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

**(अंजली प्रसाद)**

संयुक्त सचिव।

**संख्या- 720(1)/18-4-89**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

(2) सचिव, संस्थागत वित्त विभाग, उ0प्र0, शासन।

(3) सचिव, श्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।

(4) सचिव, आबकारी विभाग, उ0प्र0 शासन।

(5) सचिव नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

(6) सचिव, ऊर्जा विभाग को मंत्रि परिषद के दि0 5-2-1989 तथा 1-2-1989 के निर्णयों की प्रति सहित इस अभियुक्ति के साथ प्रेषित कि ''मिनिमम डिमाण्ड चार्जेज'' के सम्बन्ध में अपेक्षानुसार कार्यवाही करें तथा इस विभाग को व मंत्रीपरिषद को शीघ्र अवगत कराने की कृपा करें।

(7) आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उ0प्र0, कानपुर।

आज्ञा से,

**(अंजलि प्रसाद)**

संयुक्त सचिव।